उत्तराखण्ड शासन

पर्यटन अनुभाग

संख्या- 1877 /VI(1)/2019-03(05)/2015 टी०सी०

देहरादून: दिनांक 06 नवम्बर,2019

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद अधिनियम,2001 (अधिनियम संख्या 12 वर्ष,2001) की धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम-स्टे) विकास योजना नियमावली,2018 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से, निम्नलिखित नियमावली बनाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

"दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम-स्टे) विकास योजना (संशोधन) नियमावली,2019"

नाम, विस्तार एवं

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम-स्टे) विकास योजना (संशोधन) नियमावली,2019 है।

(2) यह नियमावली, नगर निगम क्षेत्रों को छोड़कर, सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में लागू होगी।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

का संशोधन

2. दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास (होम-स्टे) विकास योजना नियमावली,2018 (समय-समय पर यथासंशोधित) में नियम 4 के उपनियम (3) में निम्नवत् परन्तुक जोड़ दिया जायेगा, अर्थात:-

"परन्तु यह कि पुराने भवनों की वर्तमान संरचना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य किये जाने हेतु भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी:-

(क) सुविधाओं के उच्चीकरण, आन्तरिक साज-सज्जा, अनुरक्षण एवं नवीनीकरण सम्बन्धी कार्य।

(ख) शौचालयों के निर्माण सम्बन्धी कार्य, जिनमें दो लाख रूपये से अनधिक की धनराशि का व्यय निहित हो।"

आज्ञा से

दिलीप जावलकर

सचिव

..2